छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, जिला रायपुर

——00——

क्रमांक 1194/एफ 2018–04–04352/स्था./चार   अटल नगर, दिनांक 29/09/2018

प्रति

कुल सचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग
रायपुर नाका, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विषयः–राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणो/नगरीय निकायों में पदस्थ कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में।

संदर्भः–हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का ज्ञाप कमांक/113/स्था./2018, दिनांक 07.06.2018

——0——

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रस्ताव पर विचारोपरांत दिनांक 1.11.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की सहमति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 809/एफ 2013–04–0000702/स्था./चार, दिनांक 23.6.2016 द्वारा जारी किया गया था।

वर्ष 2015 में दुर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुछ कर्मचारी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में पदस्थ किये गये है। अतः एतद्द्वारा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के लिए भी 01.11.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की सहमति प्रदान की जाती है। इस हेतु पूर्व अवधि का अंशदान सी.आर.ए.सिस्टम में "एरियर" के रूप में शामिल किया जायेगा एवं इस अंशदान की मासिक प्रविष्ट आवश्यक होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

28/9/2018

(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव

पृ.क्रमांक 1195/एफ 2018–04–04352/स्था./चार   अटल नगर, दिनांक 29/09/2018

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
7. समस्त मान.मंत्री जी के विशेष सहायक/निज सचिव, नया रायपुर
8. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर

निरंतर .. 2 ..

10. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर के वित्त विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
13. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
14. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
15. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
16. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
17. राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, रायपुर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
20. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, छत्तीसगढ़
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
22. नियंत्रक, शासकीय मुदन एवं लेखन सामग्री, नया रायपुर
23. समस्त मान्यता–प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़

28/9/2018

अवर सचिव